न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017

1. धीमाराम पुत्र श्री पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी 2 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. वेद प्रकाश पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी 2 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.09.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 2 डी छोटी की खतौनी संख्या 27/20 बके मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है।

चक 2 डी छोटी के खाता संख्या 70/32 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 20 ता 25 में 1.392 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 2.406 हैक्टर रकबा नहरी इस प्रकार से कुल दोनो मुरब्बा में 3.797 हैक्टर रकबा अप्रार्थी के नाम दर्ज है उपरोक्त रकबा अप्रार्थी को अपनें दादा से पिता को व पिता से दान पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी को अपनें खेत मुरब्बा नम्बर 53 बके किला नम्बर 23 में जानें के लिये मन्जूंर शुद्धा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनें खेत में जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से रास्ता मन्जूंर शुद्धा है जिससे प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 25, 24 में से होते हुए किला नम्बर 23 में प्रवेश करता है इस रकबा के अलावा प्रार्थी को अपनें खेत में जानें के लिये अन्य कहीं से भी कोई भी नजदीक या दूरस्त रास्ता नहीं है।

प्रार्थी नें अप्रार्थी जो नजदीक रिश्ते में भतीजा लगता है, क्योंकि उक्त खाता पूर्व में एक ही परिवार का था इस कारण प्रार्थी नें अप्रार्थी से मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 25, 24 से होकर अपनें किला नम्बर 23 में प्रवेश करता है। इसके बाबत पूर्व में लिखित भी हुई थी तथा इस लिखित अनुसार प्रार्थी इस रास्ता से अपनें खेत में आ जा रहा है।

फसल हाड़ी सावनी के वक्त व अन्य दिनों में उपरोक्त चालू रास्ता जो रास्व रिकार्ड में मन्जूर शुद्धा नहीं है में अप्रार्थी आवारा पशुओं व अन्य तरिके से रास्ता में व्यवधान पैदा कर देता है। इस कारण इस चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक व जरूरी हो जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लगातार 2

प्रार्थी नें कई बार अप्रार्थी से कहा कि मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 25, 24 में 2–2 बिस्वा चालू रास्ता जो रास्ता रिकार्ड में मंजूर करवानें के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमती के ब्यान कर दो ताकि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हो जावे। पहले तो अप्रार्थी आजकल आसजकल करता रहा और फिर आज से सात रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गया और कहनें लगा की मै किसी लिखित को नहीं मानता और ना ही मै आपको इस रकबा में से रास्ता दूगां। इस चालू रास्ता को मै बन्द कर दूगा, तुम्हे जो करना हो सो करो। बस यही बिनाय दावा है।

प्रार्थी को इस रास्ता को बन्द करनें में असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी। इस कारण अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वह चालू रास्ता में किसी प्रकार के व्यवधान पैदा नहीं करें और रास्ता बन्द नहीं करें प्रार्थी इस रास्ता की एवज में अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर की दुगनी राशि अथवा जमीन के बदले जमीन देनें को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 25 व 24 में 2–2 बिस्वा रास्ता मन्जूर किया जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत जो प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 24/.025 व 25/.023 की दक्षिणी सीमा पर दो दो बिस्वा ही सुविधाजनक विकल्प है। इसी मुरब्बा की पूर्व दिशा में किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ता है वादी की ढ़ाणी मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 23 में है चाहा गया रास्त मौके पर चल रहा है। जो ढ़ाणी से मन्जूर शुद्धा रास्ता तक जाता है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थी अपनी सुविधा से रास्ता मन्जूर नहीं करवा सकता है धारा 251 (क) की मन्शा भी यही है, एवम् माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिस्थापित किया गया है, कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये यह कह कर स्वीकार नहीं करवा सकता कि उसका यह रास्ता नजदीक है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नहीं है। किसी भी प्रकार से रास्ते के बाबत कोई लिखित नहीं लिखी गई है अगर ऐसी कोई लिखित लिखी गई तो प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। मौके पर रास्ता चालू नहीं है और ना ही पूर्व में कभी रास्ता चालू रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट के रास्ता मौके पर चल रहा है जो ढ़ाणी से मन्जूर शुद्धा रास्ता तक जाता है, तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 24/.025 व 25/.023 की दक्षिणी सीमा पर दो दो बिस्वा ही सुविधाजनक विकल्प होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 24/.025 व 25/.023 की दक्षिणी सीमा पर दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करेगा

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकार को तहसीलदार अपनें स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.09.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर